

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क्र. :- 851/2014)

(संस्थित दिनांक :- 24/09/2014)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद चौराहा।

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. इन्द्रपाल सिंह गुर्जर पुत्र बलवीर सिंह गुर्जर, उम्र 38 वर्ष।
निवासी :- ग्राम श्यामपुरा, हाल-स्टेशन रोड़ गोहद चौराहा,
थाना-गोहद चौराहा, जिला-भिण्ड (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 07/10/2017 को घोषित)

01. अभियुक्त इन्द्रपाल सिंह पर भा.द.सं. की धारा 279, 337, 304 ए एवं धारा 39/192 एवं 146/196 मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक :- 03/08/2014 की रात्रि लगभग 08:00 बजे भिण्ड-ग्वालियर हाईवे ग्राम हरगोविन्द पुरा के सामने लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के ट्रैक्टर स्वराज 735 एफ.ई. क्रमांक एम.पी.30/ए.ए./4436, जिसका ईजन क्रमांक 391354/ए.एच.006767 ए को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत जनवेद, कमल किशोर एवं बैजन्तीबाई को टक्कर मारकर उपहति कारित की एवं उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतिका शंकुन्तला की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती एवं उक्त वाहन को बिना बीमा एवं बिना रजिस्ट्रेशन के चलवाया।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 03/08/2014 की रात्रि लगभग 08:00 बजे भिण्ड-ग्वालियर राष्ट्रीय ग्राम हरगोविन्द पुरा के सामने लोकमार्ग पर, ट्रैक्टर स्वराज 735 एफ.ई. ईजन क्रमांक 391354/ए.एच. 006767 ए के चालक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर बिना इंडीकेडर जलाये अचानक ब्रेक लगा देने से फरियादी जनवेद की टैक्सी ट्रैक्टर में टक्कर जाने से फरियादी जनवेद, कमल किशोर, शंकुन्तला एवं बैजन्तीबाई को उपहति कारित करने की देहाती नालसी फरियादी जनवेद द्वारा

सीएचसी गोहद में लेखबद्ध कराये जाने पर वाहन ट्रेक्टर स्वराज 735 एफ.ई. ईजन क्रमांक 391354/ए.एच.006767 ए के चालक के विरुद्ध जीरो पर कायमी की गई। उक्त देहाती नालसी के आधार पर वाहन ट्रेक्टर स्वराज 735 एफ.ई. ईजन क्रमांक 391354/ए.एच.006767 ए के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 197/2014 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। ईलाज के दौरान आहत श्रीमती शंकुन्तला की मृत्यु हो जाने के कारण आरोपी के विरुद्ध धारा 304 ए भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी इन्द्रपाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। घटनास्थल से हरे रंग का ट्रेक्टर स्वराज 735 एफ.ई. ईजन क्रमांक 391354/ए.एच.006767 ए मय ट्राली जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी द्वारा पेश करने पर जब्तशुदा ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन एवं आरोपी इन्द्रपाल के ड्रायविंग लाईसेंस की छायाप्रति जब्तकर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान आरोपी द्वारा ट्राली का रजिस्ट्रेशन एवं जब्तशुदा ट्रेक्टर का बीमा के दस्तावेज प्रस्तुत ना करने पर आरोपी के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा 39/192 एवं 146/196 का इजाफा किया गया। जब्तशुदा वाहन के पंजीकृत स्वामी अहिवरन सिंह गुर्जर का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया। फरियादी जनवेद, आहतगण/साक्षीगण मुरारी, कमलकिशोर, एवं श्रीमती बैजन्ती के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त इन्द्रपाल सिंह के विरुद्ध धारा 279, 337, 304 ए एवं धारा 39/192 एवं 146/196 मोटर यान अधिनियम के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में गांव की पुरानी रंजिश होने के कारण झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01. क्या आरोपी इन्द्रपाल ने दिनांक :- 03/08/2014 की रात्रि लगभग 08:00 बजे भिण्ड-ग्वालियर राष्ट्रीय ग्राम हरगोविन्द पुरा के सामने लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के ट्रेक्टर स्वराज 735 एफ.ई. क्रमांक एम.पी. 30/ए.ए./4436, जिसका क्रमांक 391354/ए.एच.006767 ए को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत जनवेद, कमल किशोर एवं बैजन्तीबाई को टक्कर मारकर उपहति कारित की?

03. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतिका शंकुन्तला की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती?

04. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा एवं बिना रजिस्ट्रेशन के चलवाया?

05. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 लगायत 04

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी जनवेद अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 08/03/2014 के रात के आठ बजे की है। वह अपनी पत्नी को ईलाज कराने अपने गांव बिरखड़ी से गोहद चौराहा ऑटो से ला रहा था। ऑटो कमल किशोर राठौर चला रहा था, उसका नम्बर 0507 था। साक्षी आगे कहता है कि आगे एक ट्रेक्टर स्वराज 735 जा रहा था, जिसका चालक इन्द्रपाल था, जिसने अपने ट्रेक्टर को एकदम लापरवाही से चलाकर बिना संकेत एवं इंडीकेटर जलाये रोक दिया था, तो उसकी ऑटो ट्रेक्टर में पीछे से टकरा गई थी, जिससे उसे सिर में चोट आई थी तथा ऑटो चालक कमल किशोर को भी चोट आई थी तथा उसकी बहू के चोट आई थी, जिससे वह गंभीर घायल हो गई थी। जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना गोहद चौराहा में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 बनाया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। साक्षी आगे कहता है कि एक्सीडेंट के बाद उसकी बहू को वह लोग गोहद चिकित्सालय लेकर गये थे, जहाँ से ग्वालियर रिफर कर दिया गया था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने उसका मेडीकल कराया था।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में फरियादी जनवेद अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि स्वराज ट्रेक्टर का इंजन नम्बर 391354 और उसके

आगे ए.एच.006767 लिखा था। साक्षी आगे कहता है कि ट्रेक्टर का उक्त नम्बर उसने देखा नहीं था, सुना था, जब गोहद चौराहा थाने पर सिपाही द्वारा लिखा-पढ़ी हुई थी, तब उसने उक्त नम्बर सुना था। इससे यह प्रकट होता है कि फरियादी जनवेद को दिनांक : 03/08/2014 को रात्रि 08:40 बजे तक सीएचसी गोहद में देहाती नालसी प्र.पी.01 लेखबद्ध किये जाने के समय तक कथित रूप से दुर्घटनाकारित करने वाले ट्रेक्टर के इंजन नम्बर की कोई जानकारी नहीं थी। फिर देहाती नालसी प्र.पी.01 में जनवेद अ.सा.01 द्वारा दुर्घटनाकारित करने वाले ट्रेक्टर के इंजन नम्बर का उल्लेख किस प्रकार किया गया, यह अभियोजन साक्ष्य से स्पष्ट नहीं है। उल्लेखनीय यह भी है कि सामान्य रूप से किसी भी वाहन के अग्र भाग पर उसका इंजन नम्बर या चैसिस नम्बर अंकित नहीं होता है, बल्कि उसका रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित होता है। इंजन अथवा चैसिस नम्बर, इंजन एवं चैसिस खुदी हुई अवस्था में काफी छोटे आकार में अंकित होता है, जो कि सामान्य रूप से वाहन चलते हुई दशा में देखा जाना संभव नहीं होता है। इस प्रकार इस वावत् फरियादी जनवेद अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य गंभीर रूप से संदेहास्पद प्रतीत होता है कि उसके द्वारा दुर्घटनाकारित करने वाले ट्रेक्टर का इंजन नम्बर दुर्घटना के समय देखा गया था।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में फरियादी जनवेद अ.सा.01 का कहना है कि दुर्घटना होते ही आरोपी इन्द्रपाल ट्रेक्टर छोड़कर भाग गया था और उसने इन्द्रपाल को घटना वाले दिन ही देखा था। साक्षी का आगे कहना है कि जब थाने पर लिखा-पढ़ी हुई थी, तब चालक का उसे नाम पता चला था। यदि फरियादी जनवेद को दुर्घटनाकारित करने वाले ट्रेक्टर चालक के रूप में इन्द्रपाल का नाम पता चल गया था, तो उसके द्वारा उक्त नाम उसके कथन अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. में दर्शित क्यों नहीं किया गया, यह उसके द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। जनवेद अ.सा.01 ने उसके पुलिस कथन में कहीं पर यह भी दर्शित नहीं किया है कि वह दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक को नाम से या कद-काठी से, या चेहरे-मोहरे से या किसी अन्य प्रकार पहचानता है। उल्लेखनीय है कि विवेचना के दौरान फरियादी जनवेद सिंह अ.सा.01 दुर्घटनाकारित करने वाले ट्रेक्टर चालक के रूप में आरोपी इन्द्रपाल की कोई पहचान कार्यवाही भी नहीं कराई गई है, इसलिए मात्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी इन्द्रपाल को पहचानना एक कमजोर किस्म का साक्ष्य है, जो कि विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। फरियादी जनवेद अ.सा.01 ने उसके मुख्य परीक्षण में घटना दिनांक : 08/03/2014 की होना दर्शित किया है, जबकि उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई देहाती नालसी प्र.पी.01 के अनुसार एवं अन्य अभियोजन साक्ष्य के अनुसार घटना दिनांक : 03/08/2014 की होना दर्शित होती है। इस प्रकार उक्त तथ्य के संबंध में फरियादी जनवेद अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई देहाती नालसी प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर

विरोधाभाष है।

11. आहत/साक्षी मुरारीलाल अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 03 तारीख 2014 की बरसात के दिन की शाम 07 बजे की है। उसकी बैजन्ती की तबीयत खराब होने के कारण उनको वह गोहद अस्पताल लेकर आ रहे थे, उसके साथ उसके पिता जनवेद सिंह, उसकी पत्नी शंकुन्तला और टैक्सी वाला कमल किशोर साथ में था। वह अपने गांव बिरखड़ी से अपनी माँ का ईलाज कराने के लिए गोहद चिकित्सालय लेकर आ रहे थे। साक्षी आगे कहता है कि कमल किशोर की टैक्सी का नम्बर 0507 था। इन्द्रपाल ट्रेक्टर को तेजी एवं लापरवाही से चला रहा था, उसने अपने ट्रेक्टर को अचानक रोक दिया, जिससे उनका ऑटो ट्रेक्टर में भिड़ गया। ट्रेक्टर चालक ने कोई संकेत एवं इंडीकेटर नहीं दिये थे, जिससे उसके पिता जनवेद सिंह को सिर में चोट आई थी, उसकी माँ बैजन्ती को बाहों में चोट आई थी। शंकुन्तला के कमर के नीचे के हिस्से में चोट आई थी, जिससे वह बेहोश हो गई थी। फिर वह उन्हें गोहद ले गये थे, जिसके बाद उसकी पत्नी को ग्वालियर रिफर कर दिया था, जो रास्ते में खत्म हो गई थी। पुलिस ने मृत्यु जांच में उपस्थित होने का आवेदन पत्र बनाया था, जो प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। लाश पंचनामा प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि न्यायालय में हाजिर अदालत आरोपी इन्द्रपाल की दुर्घटना के समय ट्रेक्टर चला रहा था। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में मुरारीलाल अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि दुर्घटनाकारित करने वाले ट्रेक्टर का नम्बर ए.एच.006767 था। साक्षी आगे कहता है कि जब वह थाने गया था, तब दरोगा जी ने कार्यवाही की थी और उसे ट्रेक्टर का नम्बर पता चला था। इस प्रकार साक्षी मुरारी लाल अ.सा. 02 ने भी दुर्घटनाकारित करने वाले ट्रेक्टर का इंजन नम्बर ए.एच.006767 दुर्घटना के समय स्वयं नहीं देखा था, बल्कि उसे विवेचना के दौरान पुलिस से ज्ञात हुआ था। साक्षी आगे कहता है कि जब दुर्घटना हुई थी तब शाम के 08 बजे का समय था, ट्रेक्टर नीले रंग का था, उसके साथ ट्राली भी थी, जिसका रंग वह रात होने के कारण वह नहीं देख पाया था। उल्लेखनीय है कि जब रात्रि आठ बजे अंधेरा होने के कारण वह ट्राली का रंग नहीं देख पाया, तब यह कैसे संभव है कि उसने उक्त समय ही बहुत छोटे अक्षरों में लिखा हुआ इंजन नम्बर देख लिया हो। इस प्रकार दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के रूप में ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.30/ए.ए./4436 का इंजन नम्बर दुर्घटना के समय देख लेने के संबंध में मुरारीलाल अ.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य संदेहास्पद प्रतीत होता है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में मुरारीलाल अ.सा.02 का कहना है कि वह आरोपी इन्द्रपाल को रिपोर्ट के कागज आने के बाद से जानता है। इसका अर्थ यह है कि मुरारीलाल अ.सा.02 ने निश्चय ही दुर्घटना के समय आरोपित दुर्घटना कारित करने वाले चालक के रूप आरोपी इन्द्रपाल को नहीं देखा था। वैसे भी यदि मुरारीलाल पुत्र जनवेद अ.सा.02 ने दुर्घटना के समय दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रूप में

आरोपी इन्द्रपाल को देखा होता तो निश्चय ही वह उसके पिता जनवेद अ.सा.01 द्वारा सीएचसी गोहद में देहाती नालसी प्र.पी.01 लेखबद्ध कराये जाते समय जनवेद के साथ मौजूद होते हुये आरोपी चालक के रूप में आरोपी इन्द्रपाल का नाम अवश्य बताता, जो कि उसके द्वारा नहीं बताया गया। देहाती नालसी प्र.पी.01 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उसमें आरोपी इन्द्रपाल का नाम दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रूप में अंकित नहीं है। इस प्रकार आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी इन्द्रपाल की पहचान के संबंध में मुरारी अ.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य संदेहास्पद प्रतीत होता है।

13. आहत/साक्षी कमल किशोर अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी इन्द्रपाल को जानता है, वह उनके पास के गांव श्यामपुरा का रहने वाला है। घटना दिनांक : 03/08/2014 की शाम 08 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह उसके पड़ोस में रहने वाले जनवेद जाटव की पत्नी बैजन्ती को लेकर अपनी टैक्सी क्रमांक एम.पी.30/आर/0507 में ईलाज हेतु गोहद ले जा रहा था, टैक्सी में जनवेद, उसकी पत्नी बैजन्ती, उसका लड़का मुरारी एवं बहू शकुन्तला साथ में थे। जैसे ही वह लोग हरगोविन्दपुरा के सामने हाईवे रोड़ पर पहुँचे, तभी उसके आगे एक ट्रैक्टर स्वराज 735 एफ.ई. जा रहा था, जिसका क्रमांक एम.पी.30/ए.ए./4436 का चालक उक्त ट्रैक्टर को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर ले जा रहा था, उक्त चालक ने बिना संकेत दिये एवं बिना इंडीकेटर जलाए ट्रैक्टर में ब्रेक लगा दिये, जिससे उसकी टैक्सी ट्रैक्टर में टकरा गई, जिससे उसकी बाईं आंख, नाक, बाये सिर, बाये घुटने एवं बाये कंधे में चोट आई थी एवं शरीर में मूंदी चोटें आई थी। साक्षी आगे कहता है कि जनवेद, शकुन्तला एवं बैजन्ती को भी चोटें आई थी। ईलाज के दौरान शकुन्तला की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। पुलिस ने उसका ईलाज कराया था।

14. उल्लेखनीय है कि कमल किशोर अ.सा.03 ने उसके मुख्य परीक्षण में आरोपी इन्द्रपाल को पहचानना दर्शित किया है, परन्तु उसने उसके मुख्य परीक्षण में या उसके प्रति-परीक्षण में कहीं पर भी आरोपी इन्द्रपाल द्वारा दुर्घटनाकारित करने वाला ट्रैक्टर चलाये जाने का तथ्य दर्शित नहीं किया है। मुख्य परीक्षण में कमल किशोर अ.सा.03 द्वारा दुर्घटनाकारित करने वाले ट्रैक्टर का क्रमांक एम.पी.30/ए.ए./4436 होना दर्शित किया है। परन्तु उसने यह दर्शित नहीं किया कि उसे उक्त ट्रैक्टर का क्रमांक कब और कैसे ज्ञात हुआ, क्योंकि उसने उक्त ट्रैक्टर का क्रमांक दुर्घटना के समय देख लिया होता तो फरियादी जनवेद अ.सा.01 द्वारा देहाती नालसी प्र.पी.01 लेखबद्ध कराये जाते समय, फरियादी जनवेद अ.सा.01 के साथ सीएचसी गोहद में मौजूद होने के कारण वह उक्त ट्रैक्टर का क्रमांक अवश्य बताता, जो कि उसके द्वारा नहीं बताया गया। जब्ती पत्रक प्र.पी.12 के माध्यम से कथित रूप से घटनास्थल से जब्तशुदा पर उसका कोई पंजीयन क्रमांक अंकित होना दर्शित नहीं होता है। ऐसी दशा में

जबकि अभियोजन कथा के अनुसार ही दुर्घटना के समय दुर्घटनाकारित करने वाले ट्रैक्टर पर पंजीयन क्रमांक अंकित नहीं था, तो उक्त पंजीयन क्रमांक दुर्घटना के समय कमल किशोर अ.सा.03 द्वारा देखा जाना संभव ही नहीं था। इस प्रकार न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ट्रैक्टर का क्रमांक दर्शित करना और देहाती नालसी लेखबद्ध किये जाते समय उपस्थित होते हुये भी दुर्घटनाकारित करने वाले ट्रैक्टर का क्रमांक दर्शित ना करना कमल किशोर अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य को संदेहास्पद बनाता है।

15. आहत बैजन्ती अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 22/06/2016 से दो साल पहले की शाम के समय की है। उस समय उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए उसके पति जनवेद अ.सा.01, पड़ोसी कमल किशोर अ.सा.03 ट्रैक्सी लेकर उसका ईलाज कराने अस्पताल गोहद, लड़के मुरारी अ.सा.02 एवं बहू शंकुन्तला के साथ जा रहे थे। ट्रैक्सी को कमलकिशोर चला रहा था, तभी बंजारे के पुरा के आगे एक ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्सी में टक्कर मार दी, जिससे वह, जनवेद, बहू शकुन्तला, मुरारी एवं कमलकिशोर को चोटें कारित हुई और ईलाज के दौरान शंकुन्तला की मृत्यु हो गई। साक्षी आगे कहती है कि टक्कर लगने से वह बेहोश हो गई थी, इसलिए दुर्घटनाकारित करने वाले ट्रैक्टर का नम्बर और उसके चालक को नहीं देख पाई थी और वह यह भी नहीं देख पाई थी कि उक्त दुर्घटना किस वाहन चालक की लापरवाही से हुई थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घटोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी बैजन्ती अ.सा.05 ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार बैजन्ती अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये जो आरोपी इन्द्रपाल द्वारा आरोपित दुर्घटना कारित करने के तथ्य को स्थापित करते हो।

16. अभियोजन साक्षी सुरेश दत्त मिश्रा अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 03/08/2014 को पुलिस थाना गोहद चौराहा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर सीएचसी गोहद पहुँचा, फरियादी जनवेद पुत्र परसादी जाटव उम्र 68 वर्ष, निवासी :- ग्राम बिरखड़ी द्वारा रिपोर्ट करने पर रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात् उसके द्वारा घायल जनवेद, बैजन्ती बाई, मुरारी का मेडीकल परीक्षण कराया गया था। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही घटनास्थल पर पहुँचकर घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके बी से बी भाग उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त देहाती नालसी पर से एफआईआर लेखबद्ध कराई गई थी, जो प्र.पी.11 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उसी समय घटनास्थल से एक ट्रैक्टर स्वराज 735 हरे रंग का जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी. 12 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है

कि उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी जनवेद जाटव, कमल किशोर, बैजन्ती बाई एवं मुरारी के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 05/08/2014 को आरोपी इन्द्रपाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.13 बनाया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी द्वारा उक्त दिनांक को ही ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.30/ए.ए./4436 का रजिस्ट्रेशन एवं स्वयं का ड्रायविंग लाईसेंस की छायाप्रति पेश करने पर जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.14 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी के पास ट्राली का रजिस्ट्रेशन एवं ट्रेक्टर का बीमा ना होने के कारण उसके द्वारा धारा 39/192 एवं 146/196 मोटरयान अधिनियम का इजाफा किया गया। उसके द्वारा उसी दिनांक को अहिवरन सिंह गुर्जर का प्रमाणीकरण लिया गया था, जिसमें उसने स्वेच्छया बताया था कि ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.30/ए.ए./4436 स्वराज 735 का वह वाहन स्वामी है तथा उक्त ट्रेक्टर को दिनांक : 03/08/2014 घटना दिनांक को इन्द्रपाल सिंह पुत्र बलवीर सिंह, निवासी :- श्यामपुरा, हाल निवासी : स्टेशन रोड गोहद चौराहा का चला रहा था, इस वावत् दिया गया प्रमाण-पत्र प्र.पी.15 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक : 04/08/2014 को थाना कम्पू ग्वालियर से मृतका शकुन्तला की मर्ग इंटीमेशन तथा शव पंचनामा, डायरी प्राप्त हुई थी, जिसमें धारा 304 ए इजाफा की गई थी। विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

17. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में एस.डी.मिश्रा अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि फरियादी जनवेद अ.सा.01 ने ट्रेक्टर का इंजन नम्बर नहीं बताया था और उसने देहाती नालसी प्र.पी.01 अपने आप लेख की थी। उल्लेखनीय है कि फरियादी जनवेद अ.सा.01 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में यह दर्शित किया है कि स्वराज ट्रेक्टर का नम्बर उसने नहीं देखा था, बल्कि जब गोहद चौराहा थाने पर सिपाही द्वारा लिखा-पढ़ी, तब उसके द्वारा सुना गया था। इसका अर्थ यह है कि दुर्घटना के समय जनवेद अ.सा.01 ने ट्रेक्टर का इंजन नम्बर नहीं देखा था, फिर उक्त ट्रेक्टर का नम्बर देहाती नालसी प्र.पी.01 में जनवेद अ.सा.01 द्वारा किस प्रकार लेखबद्ध कराया गया, इस वावत् जनवेद अ.सा.01 एवं एस.डी.मिश्रा अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि जनवेद अ.सा.01 द्वारा देहाती नालसी प्र.पी.01 में दुर्घटनाकारित करने वाले ट्रेक्टर का इंजन नम्बर लेखबद्ध कराये जाने संबंधी एस.डी.मिश्रा अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष के अत्यंत संदेहास्पद बनाता है।

18. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में एस.डी.मिश्रा अ.सा.06 ने यह दर्शित किया है कि उसने फरियादी जनवेद का कथन घटना दिनांक को अस्पताल में लेख किया था, जबकि जनवेद अ.सा.01 का प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में कहना है कि पुलिस घटना के तीन दिन बाद शाम 07 बजे उसके

बयान लेने गई थी। फरियादी जनवेद अ.सा.01 के पुलिस कथन के अवलोकन से भी उक्त पुलिस कथन घटना दिनांक : 03/08/2014 को लेखबद्ध किया जाना दर्शित होता है, इस प्रकार जनवेद अ.सा.01 का पुलिस कथन घटना दिनांक : 03/08/2014 को सीएचसी गोहद में लेखबद्ध किया गया था अथवा घटना के तीन दिन पश्चात् फरियादी जनवेद के घर पर शाम को 07 बजे लेखबद्ध किया गया था। इस वावत् जनवेद अ.सा.01 एवं एस.डी.मिश्रा अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

19. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में एस.डी.मिश्रा अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने थाने पर ही बैठकर घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया था। इस वावत् फरियादी जनवेद अ.सा.01 का प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में कहना है कि उसके द्वारा कागजों पर हस्ताक्षर घटना के तीन दिन बाद शाम सात बजे पुलिस के उसके घर आने पर किये गये थे। जिससे यह दर्शित होता है कि घटना दिनांक : 03/08/2014 को रात्रि के समय जनवेद अ.सा.01 द्वारा नक्शा-मौका प्र.पी.02 पर घटनास्थल पर कोई हस्ताक्षर नहीं किये गये थे। इस प्रकार नक्शा-मौका प्र.पी.02 घटनास्थल पर घटना दिनांक को फरियादी जनवेद के बताये अनुसार बनाये जाने के संबंध में जनवेद अ.सा.02 एवं एस.डी.मिश्रा अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है और यह तथ्य इस वावत् एस.डी.मिश्रा अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य को गंभीर रूप से संदेहास्पद बनाता है।

20. विवेचक एस.डी.मिश्रा अ.सा.06 ने उसके मुख्य परीक्षण में यह दर्शित किया है कि आरोपी के पास ट्राली का रजिस्ट्रेशन एवं ट्रेक्टर का बीमा ना होने के कारण उसके द्वारा मोटर यान अधिनियम की धारा 39/192 एवं 146/196 का इजाफा किया गया था। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में जब्तशुदा ट्रेक्टर एवं ट्राली घटनास्थल से जब्त किये गये हैं, ना कि आरोपी इन्द्रपाल के आधिपत्य से। अभियोजन साक्ष्य की उपरोक्त विवेचना से कहीं पर भी यह दर्शित नहीं होता है कि आरोपी इन्द्रपाल द्वारा उक्त जब्तशुदा ट्रेक्टर को आरोपित दुर्घटना के समय चलाया जा रहा था। इसलिए यह भी उपधारित नहीं किया जा सकता कि आरोपी इन्द्रपाल द्वारा उक्त ट्राली को बिना रजिस्ट्रेशन एवं ट्रेक्टर को बिना बीमा के चलाया जा रहा था।

21. अभियोजन साक्षी अहिवरन गुर्जर अ.सा.08 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी इन्द्रपाल को जानता है। वह एक स्वराज ट्रेक्टर का स्वामी है, लेकिन वह लिखा-पढ़ा ना होने के कारण उसका पंजीयन क्रमांक नहीं बता सकता। साक्षी आगे कहता है कि पुलिस ने उसके ट्रेक्टर को सड़क से जब्त कर लिया था, इस वावत् बनाये गये जब्ती पत्रक प्र.पी.14 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने आरोपी इन्द्रपाल को गिरफ्तार नहीं किया था, गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.13 के बी से बी भाग उसके

हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके एक अन्य कोरे कागज पर भी हस्ताक्षर कराये थे। साक्षी को प्रमाणीकरण प्र.पी.15 का दस्तावेज दिखाने पर साक्षी ने उक्त दस्तावेज के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना व्यक्त किया। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अहिवरन अ.सा.08 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने दिनांक : 05/08/2014 को उसके एवं मुकेश के समक्ष आरोपी इन्द्रपाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.13 बनाया था एवं पुलिस ने दिनांक : 05/08/14 को उसके एवं मुकेश के समक्ष आरोपी इन्द्रपाल से ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.30/ए.ए./4436 को जब्त कर जब्ती पत्रक प्र.पी.14 बनाया था। साक्षी ने स्वतः कहा कि पुलिस ने उसका ट्रेक्टर सड़क पर खड़ी हुई अवस्था में जब्त किया था। वह अनपढ़ होने के कारण यह नहीं बता सकता कि उसके ट्रेक्टर का क्रमांक एम.पी.30/ए.ए./4436 है, अथवा नहीं। स्वतः कहा कि उसका ट्रेक्टर स्वराज ट्रेक्टर है। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि दिनांक : 03/08/2014 को उसका ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.30/ए.ए./4436 को आरोपी इन्द्रपाल चला रहा था और आरोपी ने उसे उक्त ट्रेक्टर से एक्सीडेंट की सूचना दी थी। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि उक्त जानकारी के आधार पर उसने पुलिस को प्रमाणीकरण दिया था। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि वह आरोपी को बचाने के लिए आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा हूँ। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में साक्षी अहिवरन अ.सा.08 ने आरोपी अधिवक्ता के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्र.पी.15 पर उसके हस्ताक्षर पुलिस ने कोरे कागज पर कराये थे। साक्षी आगे कहता है कि पुलिस ने उसे यह नहीं बताया था कि प्र.पी.15 के दस्तावेज पर क्या लिखा जायेगा। साक्षी अहिवरन अ.सा.08 ने आरोपी अधिवक्ता के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी इन्द्रपाल कभी भी उसके स्वराज ट्रेक्टर पर चालक के रूप में कार्यरत नहीं रहा। इस प्रकार साक्षी अहिवरन सिंह अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं जो आरोपित घटना में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी इन्द्रपाल सिंह गुर्जर की पहचान एवं उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार किये जाने एवं घटनास्थल से ट्रेक्टर को जब्त किये जाने के तथ्य को दर्शित करते हो।

22. डॉ. आलोक शर्मा अ.सा.04 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर केवल आहतगण जनवेद अ.सा.01, आहत कमल किशोर अ.सा.03, आहत बैजन्ती अ.सा.05 एवं आहत शंकुन्तला के मेडीकल परीक्षण के संबंध में अभिमत के साक्षी होने के कारण एवं अभियोजन की पूर्व में विवेचित अन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.05 लगायत प्र.पी.09 में दर्शित उनके अभिमत संबंधी उनके न्यायालयीन साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है।

23. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी इन्द्रपाल ने दिनांक :- 03/08/2014 की रात्रि लगभग 08:00 बजे भिण्ड-ग्वालियर हाईवे ग्राम हरगोविन्द पुरा के सामने लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के ट्रैक्टर स्वराज 735 एफ.ई. क्रमांक एम.पी.30/ए.ए./4436, जिसका ईंजन क्रमांक 391354/ए.एच.006767 ए को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत जनवेद, कमल किशोर एवं बैजन्तीबाई को टक्कर मारकर उपहति कारित की एवं उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतिका शंकुन्तला की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती एवं उक्त वाहन को बिना बीमा एवं बिना रजिस्ट्रेशन के चलवाया।

अंतिम निष्कर्ष

24. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी इन्द्रपाल सिंह गुर्जर के विरुद्ध धारा 279, 337, 304 ए भा.द.सं. एवं धारा 39/192 एवं 146/196 मोटर यान अधिनियम के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी इन्द्रपाल को धारा 279, 337, 304 ए भा.द.सं. एवं धारा 39/192 एवं 146/196 मोटर यान अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

25. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

26. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन ट्रैक्टर स्वराज 735 एफ.ई. क्रमांक एम.पी.30/ए.ए./4436, जिसका ईंजन क्रमांक 391354/ए.एच.006767 ए एवं ट्राली पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी अहिवरन सिंह के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। जब्ती पत्रक प्र.पी.14 के अनुसार जब्तशुदा अन्य छायाप्रति एवं कपड़े की सीलबंद पोटली अपील अवधि पश्चात् मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद